तत्काल / महत्वपूर्ण

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, 85–राजपुर रोड, देहरादून।

फैक्सः–0135–2741607 ई–मेलः–ccfpfmua@gmail.com

पत्र संख्या– नि0 1936 / 3–3 (मांग प्रस्ताव) **दिनांकः देहरादून, 05 अप्रैल, 2019**

सेवा में,

1. निदेशक,
   राजाजी एवं कार्बेट टाइगर रिजर्व।
2. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी / उप–निदेशक,
   वन विभाग, उत्तराखण्ड।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग की विभिन्न राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी धनराशि के सापेक्ष सूचनायें उपलब्ध कराये विषयक।**

महोदय,

उपरोक्त अवगत कराना है कि विभागीय राज्य सैक्टर योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचना तत्काल ***(अनिवार्यतः दिनांक 30.04.2019 तक)*** अपने वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये ताकि उसके आधार पर शासन द्वारा मांगे जाने पर तत्काल वांछित पृच्छाओं / आख्या उपलब्ध करायी जा सकेः–

1. योजनावार वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पादित कार्यों का विवरण एवं उक्त कार्यों के सापेक्ष प्राप्त लाभदायक परिणामों के विवरण के सम्बन्ध में सुस्पष्ट मूल्यांकन आख्या।
2. वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र (निर्धारित प्रपत्र में)।
3. चालू निर्माण कार्यों की वित्त विभाग के प्रपत्र में भौतिक वित्तीय प्रगति एवं अवशेष देयता की मांग तत्काल उपलब्ध कराये ताकि उसकी मांग शासन से समय से की जा सके।

भवदीय,

05/4

(डॉ० धनंजय मोहन)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।

संख्याः नि. 1936 / 3–5 (सामान्य) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि **निम्नलिखित को** सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित उक्तानुसार सूचना अपने अधीनस्थ प्रभागों से प्राप्त कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें:–

1. प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव) / मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊँ एवं गढ़वाल जोन।
3. समस्त वन संरक्षक / निदेशक, वन विभाग, उत्तराखण्ड।

(डॉ० धनंजय मोहन)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन।